मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 3589
24 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना

3589. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या छोटे शहरों में जनजातीय समुदाय को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या छोटे शहरों में आवास उपलब्ध कराने के लिए नई परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>
(श्री कौशल किशोर)

(क): और (ख): भूमि और कालोनीकरण राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। यद्यपि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 'सभी के लिए आवास' के विज़न के अंतर्गत चार घटकों के माध्यम से 25.06.2015 से सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता दे रहा है। भारत सरकार इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) के तहत 1.0 लाख रूपये, पीएमएवाई-यू के साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत निर्माण एवं संवर्धन (बीएलसी) घटक के अंतर्गत 1.5 लाख रूपये का निर्धारित हिस्सा केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान कर रही है। पीएमएवाई-यू के ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) घटक के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी के लाभार्थियों के लिए, 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी, जो प्रति आवास 2.67 लाख रूपये तक है, प्रदान की जाती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/शहरी स्थानीय निकायों/लाभार्थियों द्वारा वहन की जाती है। मध्य प्रदेश सहित किसी

भी राज्य/ संघ शासित प्रदेश के लिए पीएमएवाई-यू के तहत केंद्रीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): पीएमएवाई-यू योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों के लिए आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा मांग सर्वेक्षण किया जाता है। मांग के आधार पर, राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारें पीएमएवाई-यू के तहत परियोजना प्रस्ताव तैयार करती हैं और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा मंजूरी के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत करती हैं। मंत्रालय मिशन अवधि के दौरान अर्थात 31.03.2022 से पहले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार है।

****